राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोशिऐशन

सत्यमेव जयते

डा० कुलदीप कुमार मिश्र
चेयरमैन
मो०नं०:-9918185840

मूल भावना

राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन का गठन मानव अधिकारों के हनन को लेकर किया गया हैं । आम जनता के बीच केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मानव अधिकारों को लेकर सामाजिक कार्य किये गये हैं जनता को अधिकार सम्पन्न बनाने में सरकार की क्या भूमिका हरी हैं? राज्यों की भौगोलिक व्यवस्था को लेकर राज्य सरकारें अपना चिन्तन रखती हैं। सरकार तथा तथा समाज में आम जनता को अपने अधिकारों के लिए प्रेरित करने के लिए विभिन्न संदेश मीडिया संसाधनों के माध्यम से करती हैं। राज्य सरकारों के चिन्तन को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानव अधिकारों को लेकर समय-समय पर राज्य सरकारों से जवाब -सवाल किया हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय न भारत वर्ष के प्रत्येक राज्य में मानव अधिकार आयोग का गठन कर आम जनता को स्वयं के अधिकार जानने का मौका दिया हैं।

राज्य स्तर पर ग्रुप और आयोग संघ की सहायता से राज्य मानवाधिकार आयोग काम करते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर किया गया हैं इस पर पद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधिपति ही पद भार ग्रहण करते है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानवाधिकार का बड़े पैमाने पर हनन करने वाले प्रकरणों की सुनवाई हेतु अध्यक्ष मानवाधिकार मानिटरिंग कमेटी बनाई हैं। मेरे प्यारे सदस्य और पदाधिकारी बन्धुओ , मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि आपको अधिकार के साथ जरूरत है आपके अनुसाशन की । समाज में एकता और मानवता के लिए समर्पित रहना संगठन का मूल उद्देश्य एसोसिएशन ने दृढ.ता से अपनाया हैं। हम जाति, वर्ग भेद-भाव से ऊपर इस राष्ट्र की एक आबादी में अपने अधिकारों के लिए खड़े हो, अपनी मूलभूत आवश्यकता बिजली सड़क, पानी तथा बेरोजगारी को कैसे दूर करें । आज आपकों मूलभूत आवश्यकता से आपके जन प्रतिनिधि कृत्य कर रहें है।

इन बिन्दुओं पर राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन अपना मूल उद्देश्य रखेगा। आप बलिष्ठ बुद्धिमान हैं, जरूरत हैं, सिर्फ आपके आत्म विश्वास की । मैं आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन की परिभाषा से अवगत कराना चाहता हूँ कि जन अर्थात मनुष्य , हित अर्थात कल्याणकारी, मानवाधिकार अर्थात मनुष्यों का अधिकार, एसोसिएशन अर्थात समूह या संघ । इस बैनर को मैने मानव हितों की रक्षा-सुरक्षा के लिए बनाया हैं। जिसमें हमारे परिवार के रूप में आप भारत वर्ष में इस संगठन को नई दिशा देने में सहायक होगें , आपकी होगें , आपकी बात प्रत्येक जिले का कलेक्टर , एस0सी0 ,मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री तभी सुनेंगे जब जब आप जैसे आदर्श नागरिक , अपने अधिकार को जानने में सक्षम होंगे । अब आपको स्वयं उठ खड़े होना होगा। योग्य कुशल और बेरोजगार रहित भारत की कल्पना कर सकते हैं। आप अपनी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के किसी भी पदाधिकारी और सदस्य के माध्यम से अपने राज्य के मान अधिकार आयोग द्वारा संचालित आयोग मित्र के शिकायतों को कर सकते हैं। अगर इन शिकायतों में सुनवाई नही पाते हैं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन को लिखे।

मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि अपने आपको मानवाधिकार का सदस्य बतायेंगे , बल्कि आयोग की कार्यप्रणाली से आम जन को अवगत करायें। ताकि लोग मानव अधिकारों के हनन से स्वयं का बचाव कर सकें ।

कार्यालय :- 06 सरस्वती लीगल एसोशिऐट, सेन्टल बार सिविल कोर्ट कैसरबाग लखनऊ-226001
मुख्य कार्यालय:- पी०-19, श्रीनिवासपुरी एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली-110065
Email: manvadhikar9918@gmail.com | Website: www.rmanavadhikar.com

राष्ट्रीय मानवधिकार एसोशिऐशन

सत्यमेव जयते

प्रशासनिक कार्यवाही नियमावली

1. समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारी/सदस्य
2. समस्त प्रान्तीय पदाधिकारी/सदस्य
3. समस्त जिला पदाधिकारी/सदस्य

1. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण पदाधिकारी अपने जिला अध्यक्ष, ब्लाक की मद्द से आपके जनपद सदस्य, जिला पंचायत/अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य, सरपंच पंच से उसके द्वारा किये गये विभागीय कार्यो की जानकारी प्राप्त करे। जानकारी नही देने पर अपने विधि सलाहकार के माध्यम से सिटीजन चार्टर का उल्लेख कर जानकरी प्राप्त कर कार्यवाही करें।
2. जिला अध्यक्ष प्रतिमाह विकास कार्यो की सही रिर्पोट प्रदेश अध्यक्ष के पूर्ण सहमति के साथ शासन के पक्ष या विपक्ष स्तर का दृष्टिकोण नही अपनाते हुए उचित रिपोर्ट भारत के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री , राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को भेजेंगे।
3. जिलों में प्रतिमाह आयोजित बैठको में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों और पदाधिकारियों को प्रथम तौर पर 500% - आर्थिक दण्ड से दण्डित करेंगे। दूसरी एवं तीसरी बैठक मे पुनः अनुपस्थित होने पर उन्हें चेतावनी नोटिस जारी करेगें।
4. सदस्य पदाधिकारी अपने पद की गरिमा का सम्मान रखेगें एवं अनुशासनहीनता का परिचय नही देगें। संगठन के खिलाप प्रचार प्रसार सिद्ध होने पर निष्कासन की कार्यवाही की संगठन कर सकता है। संगठन के शिकायत/सुझाव लिखित में अपने नगर अध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/समभागीय अध्यक्ष/प्रदेश अध्यक्ष का सीधे शिकायत सुझाव दे सकते है।
5. राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश पदाधिकारी के विरूद्ध सीधे तौर पर अनर्गल प्रचार-प्रसार जैसे उद्बोधन नही करेगें, इसी तरह नगर और जिला पदाधिकारियों के लिए जिला और नगर के पदाधिकारियों/सदस्यों द्वारा गलत बयानवाजी जल्दी नही की जाय।
6. संगठन के समस्त पदाधिकारी/सदस्य अपराधिक गतिविधिया से अपने को दूर रखेगें स्वयं यहा किसी सलाह द्वारा शराब, शट्टा, जैसे मामलों में अपने आप को लिप्त न करें।
7. संगठन के पदाधिकारियों/सदस्यों की पुलिस बेरीफिकेशन समय-समय पर एसोसिएशन करेगें।
8. संगठन द्वारा आयोजित किसी भी रैली/बैठकों में गम्भीरता पूर्वक अपनी अपनी बैठकों को आयोजन करें और जनशिकायतों के निस्तारण के लिए रणनीति अपनाऐं।
9. जिलाध्यक्ष प्रतिमाह अपनी अपनी बैठकों की जानकारी अपने प्रदेश अध्यक्ष को भिजावें और उनसे निर्देश प्राप्त करें। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश नही मानने पर राष्ट्रीय कमेटी उचित पर बाध्य नही रहेगी।
10. जिला कमेटी महिला बाल विकास, आंगनबाडी साक्षरता, किशोर न्यायलय केन्द्रीय जेल, विद्युत मण्डल की कार्यवाहियों पर जनहित में नजर रखेगें और जिला योजना समिति और नगरीय प्रशासन की योजनाओं क्रियान्वयन की समस्त जानकारिया अपने पास उपलब्ध रखेगे।
11. उत्पीड़न सम्बन्धी पुलिस शिकायतों में जिला पुलिस अधीक्षक और रेंज पुलिस महानिरीक्षक से प्रतिमाह में बैठकों लोग और शिकायतों का निस्तारण करेंगे। पुलिस द्वारा शिकायतों पर ध्यान नहीं देने पर अपने विधि सलाहकार के माध्यम से सत्र न्यायधीश की अदालत में मामला पंजीबद्ध करवायेंगे ।
12. कलेक्टर/ (मंडलायुक्त) कमिश्नर से भी जनशिकायतों में प्रति 15-15 दिवस के अन्तर से बैठकों लेगें।
13. जिला विधिक अधिकारी से मिलकर गरीब के लोगों को कानमनी विधि सलाहकार उपलब्ध करवायेंगे और उन्हें हर स्तर पर सहयोग प्रदान करेंगे । अधिक जानकारी के लिए अध्यक्ष , विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
14. जिला पंचायत/नगर पंचायत /नगर पालिकाओं /विधायक निधि /सांसद निधि/ मुख्यमंत्री निधि / कलेक्टर निधि /कमीशन निधि /पार्षद निधि के द्वारा मार्ग दर्शन प्राप्त करेंगे । विकास राशियों में धांधली पाये जाने संबंधित जन प्रतिनिधि /जिला प्रशासन के विरूद्ध जिला न्यायालय /उच्च न्यायालय /मानवाधिकार आयोग निगरानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट (भारत) को प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से शिकायतें भेजेंगे।
15. संगठन ऐसे फर्जी डाक्टरों/ नर्सिंग होम पर नजर रखेंगे जो अपनी विधि में इलाज न कर जनता गुमराह करते हैं। ऐसे डाक्टर जो अपनी पैथी में इलाज नही करते हैं तथा मनमानी बिलिंग करते है उनके विरूद्ध जिला मुख्य चिकित्साधिकारी/ सिविल सर्जन /कलकक्टर/मंडलायुक्त से शिकायत कर सकते हैं।
16. खाद्य पदार्थो पर अकुंश नही रखने वाले ऐसे व्यापारी / दुकानदारों को शासन को अवगत कराया जायेगा।
17. ऐसी गैस एजेंसीयों / दूध डेरियों के विरूद्ध भी गुमराह करने के लिए और जनता के प्रति 420 प्रतीत होने पर खाद्य अधिकारी से शिकायत कर जनता को दूध माप यंत्र और गैसे मापक यंत्र खरीदने की सलाह देंगे और इन लोगों के दोषी पायें।
18. महिला उत्पीड़न रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही ।

कार्यालय :- 06 सरस्वती लीगल एसोशिऐट, सेन्टल बार सिविल कोर्ट कैसरबाग लखनऊ-226001
मुख्य कार्यालय:- पी०-19, श्रीनिवासपुरी एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली-110065
Email: manvadhikar9918@gmail.com | Website: www.rmanavadhikar.com

राष्ट्रीय मानवधिकार एसोशिऐशन

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के उद्देश्य

1. महिलाओं के विभिन्न सेल का निर्माण कर विकास में सरकारी क्रियान्वयन को आगे बढ़ाना ।
2. जिला जन्मजात मनोविकार ग्रस्त बच्चों की रोकथाम के सुदूर अंचलो में महिलाओं को स्वच्छ में हर पल आगरूक रहने के लिए संगठन प्रयासरत् रहेगा।
3. शारीरिक व मानसिक रूप से व्यक्तियों का आत्म निर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना व पीड़ित करना व पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं संकलित कर सरकार को अवगत कराना ।
4. बल अपराध की प्रवृत्तियों को पता लगाना एवं उनके निदानों के लिए रचनात्माक प्रयास कर केन्द्र और राज्य सरकारों को समय-समय पर जानकारी देना।
5. विद्यार्थीयों में पनप रही मादक पदार्थो के सेवन की प्रवृत्ति पर रोकथाम के लिए प्रेरणादायक स्वास्थ्य जीवन जीने की कला सम्बन्धी कार्यक्रम संचालित करना एवं उन्हें राष्ट्र के लिए जागरूक करना ।
6. सरकार द्वारा चलाये जा रहें साक्षरता मिशन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत , जिला पंचायत एवं नगर पंचायतों के सहयोग से संस्था स्वयं विद्यालय स्थापित कर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन व गरीब छात्रों को शिक्षा की व्यवस्था हेतु सरकार से निवेदन करना ।
7. समाज में पनप रही बुराईयों के उन्मूलन के लिए योग्य साधन केन्द्र चलाकर मानव को स्वस्थ जीनव जीने का मार्ग प्रसस्त करने का तथा नशाखोरी , सूदखोरी में फसे लोगों मुक्त कराना।
8. बाल श्रम रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास करना ।
9. कालाबजारी रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास करना ।
10. पुलिस से प्रताड़ित लोगो को न्याय दिलाने के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से 15 दिनों में शिकायतों के निस्तारण की जानकारी मांगेगे । गन्दी विचार धारा रखने वाले पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली को पुलिस मुख्यालय, केन्द्र गृहमंत्रालय, गृह राज्यमंत्रालय से अवगत काराना और कार्यवाही हेतु निवेदन कराना।
11. शासकीय अर्धशासकीय एवं निजी उद्योगो में सेवारत अधिकारियों के कल्याण शर्तो के विपरित व्यापक शोषण एवं प्रताड़ना कीसूक्ष्म विवेचना कर वास्तविक जानकारी संकलित कर सरकार को अवगत कराना।
12. अकाल, बाढ़, भूकम्प, अन्य प्राकृतिक अपरोधों तथा असामाजिक दुघर्टनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण के लिए समाजिक सद्भाव बनाना तथा पीड़ित परिवार की सहायता करना और विपत्तिकाल में सरकार को वांछित जानकारी उपलब्ध कराते हुए सहयोग प्रदान करना ।
13. स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाले समस्त योजनाओं जैसे एड्स, कैंसर, टी0वी0,हैपटाईटिस, मधुमेह आदि जानलेवा बीमारियों की पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगो को जागरूक करना एवं जनता को बीमारी से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना।
14. संस्था द्वारा अपनी समस्त योजनाओं, कार्यक्रमों व उद्देश्यों का प्रचार-प्रसार समस्त माध्यमों से जैसे-न्यूज, विज्ञापन, पम्पलेट, लेख, पोस्टर, बैनर, होडिंग, रेडियों, टेलीवीजन आदि के माध्यम से करते हुए जनता तक पहुचाने का प्रयास करना जिससे क्षेत्रीय जनता लाभान्वित हो सके।
15. सूचना प्रसारण मंत्रालय एवंज सम्पर्क विभाग भारत सरकार, राज्य सरकार से पत्रकारों से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के क्रियान्वयन में वरती जाने वाली लापरवाहियों पर सरकार को अवगत कराना तथा पत्रकार सेलो का गठन करना।
16. जिला योजना समितियों, नगरी प्रशासन द्वारा निर्धारित योजनाओं से लेकर कार्य करना तथा बिजली , सड़क पानी और शिक्षा के क्षेत्र में जिला शिक्षाधिकारियों और कलेक्टर के माध्यम से निजी स्कूलों के द्वारा होने वाले उत्पीड़न के लिए सरकार को अवगत कराना और कार्यवाही हेतु निवेदन करना।
17. संगठन के सदस्यों द्वारा शोषण के खिलाफ जनता को जागरूक करने का प्रमुख कार्य किया जायेगा तथा मानवीय संवेदनाओं के प्रति लापहवाहियों को सरकार से अवगत कराना। न्याय न मिलने की दिशा में मानवीय न्यायलय में न्याय हेतु अपील करना।
18. संगठन द्वारा किये गये कार्यो का लेखा-जोखा वर्ष में एक बार अधिवेशन के माध्यम से जनता के सामने रखना।
19. प्रधानमंत्री/सांसद/विधायक/पार्षद/महापौर/मुख्यमंत्री/राज्यपाल की निधि से आप जनता को सहयोग दिलाने का प्रयास कर निवेदन करना और इन निधियों की राशि की जांच करवाने का प्रयास करना।
20. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ आदिवासी के सरकारी को सरकार से लेकर दन वर्गो के विकास के लिए कार्य करना।
21. माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा सिटीजन चार्टर्ड के तहत दिये गये निर्देशों के पालन नही करने वालों के विरूद्ध माननीय न्यायलय और सरकार को अवगत कराना माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा माननीय संवेदनाओं के प्रति दिये गये दिशा निर्देशे के प्रचार-प्रसार को आगे बढ़ाना ।

कार्यालय :- 06 सरस्वती लीगल एसोशिऐट, सेन्टल बार सिविल कोर्ट कैसरबाग लखनऊ-226001
मुख्य कार्यालय:- पी०-19, श्रीनिवासपुरी एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली-110065
Email: manvadhikar9918@gmail.com | Website: www.rmanavadhikar.com